

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में “अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में “अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक” पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वें चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईकर मेल-हैं। सकते

प्रेम नारायण
(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23062032

नई दिल्ली
दिनांक :

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2021

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक/स्वागती और अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहृता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अवर श्रेणी लिपिक	64* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्चितीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मानक: (क) अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (ख) हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। अनुमत समय: 10 मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पांच कुंजी दबाव के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा के समतुल्य है।)	हाँ, स्तंभ (11) में निर्दिष्ट सीमा तक।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) रिक्तियों का 10%, विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1(18000-56900/- रुपये) में ऐसे समूह 'ग' कर्मियों में से भरा जाएगा, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता का धारण करते हों तथा जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा हेतु पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा पैंतालीस वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	जैसा कि स्तंभ (10) में निर्दिष्ट है।

<p>टिप्पणी: अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा मर्कती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>				<p>की दशा में पचास वर्ष)।</p> <p>(iii) रिक्तियों का 5% ऐसे समूह 'ग' कर्मियों में से वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/- रुपये) में पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>
--	--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	मर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:

(i) उप प्रधानाचार्य, नेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल

(ii) उपनिदेशक, नेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल

(iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में नेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उपनिदेशक

-अध्यक्ष;

- सदस्य;

-सदस्य।

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रवर श्रेणी लिपिक	17* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
100% प्रोन्नति द्वारा।	<p>लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/- रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा वर्तमान कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित में मिल कर बनेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; (ii) उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उपनिदेशक - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

[ए.11018/01/2020-एमएच II]

(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार